सं एफ. 2-9/2015-वाईएच

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: 9 अक्टूबर 2015

<u>आदेश</u>

विषय: **युवा छात्रावास स्कीम- केंद्रीय नीति समिति (सीपीसी) की दिनांक 11-7-2015 को आयोजित बैठक के निर्णय**

सीपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे दिया जा रहा है:-

I **एनवाईकेएस की भूमिका**-नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) युवा छात्रावासों के संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से फील्ड संगठन के रूप में कार्य करेगा। अतः एनवाईकेएस का फील्ड स्टाफ, पर्यवेक्षण रखरखाव, नवीकरण, युवा संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवास का समुचित उपयोग आदि में शामिल होगा।

II **युवा छात्रावास प्रबंधन समिति का संघटन**:- राज्य की राजधानी में स्थित युवा छात्रावास के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सचिव (युवा कार्यक्रम) छात्रावास प्रबंधन समिति (एच.एम.सी.) के अध्यक्ष होंगे जबकि अन्य युवा छात्रावासों के लिए उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट एचएमसी के अध्यक्ष होंगे। माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा किसी ख्याति प्राप्त हस्ती को भी एजेंसी के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। एच.एम.सी. का संघटन इस प्रकार होगा:-

<u>राज्य की राजधानी में युवा छात्रावास</u>

क. सचिव (युवा कार्यक्रम), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	: अध्यक्ष
ख. उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट	: सदस्य
ग. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा नामित ख्याति प्राप्त हस्ती	: सदस्य
घ. क्षेत्रीय निदेशक (एनएसएस)/ कार्यक्रम समन्वयक (एनएसएस)	: सदस्य
ड़. राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन	: सदस्य
च. केंद्र प्रभारी, भारतीय खेल प्राधिकरण	: सदस्य
छ. यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि	: सदस्य
ज. कार्यपालक/सहायक अभियंता, लोनिवि	: सदस्य
झ. प्रबंधक युवा छात्रावास	: सदस्य सचिव

<u>राज्य की राजधानी से इतर युवा छात्रावास</u>

क. उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट	: अध्यक्ष

ख. कार्यपालक/सहायक अभियंता, लोनिवि	: सदस्य
ग. माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा नामित ख्याति प्राप्त हस्ती	: सदस्य
घ. जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र	: सदस्य
ड़. कार्यक्रम समन्वयक (एनएसएस)	: सदस्य
च. केंद्र प्रभारी, भारतीय खेल प्राधिकरण	: सदस्य
छ. यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	: सदस्य
ज. प्रबंधक, युवा छात्रावास	: सदस्य सचिव

III **युवा छात्रावास का रखरखाव और अनुरक्षण**: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपेक्षित है कि वे युवा छात्रावासों के समुचित रखरखाव और अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करें। कॉरपोरेट घरानों से उनके कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत युवा छात्रावासों के अनुरक्षण की संभावना पर उनके साथ विचार किया जा सकता है।

IV **युवा छात्रावासों पर अनधिकृत कब्जा**: युवा छात्रावासों के सुचारु कार्यकरण के लिए ऐसे युवा छात्रावासों को खाली कराने के लिए समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

V **प्रबंधक और वार्डन की नियुक्ति**: प्रबंधकों की नियुक्तियों का उत्तरदायित्व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार का होगा। उन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। चयनित प्रबंधक की पत्नी/महिला परिजन को युवा छात्रावास का वार्डन बनाया जाएगा। प्रबंधक का पारिश्रमिक/मानदेय 12000/- रु प्रतिमाह होगा जबकि महिला परिजन, जिसे वार्डन कहा जाएगा, का पारिश्रमिक मानदेय 6000/- रु प्रतिमाह होगा। प्रबंधक और वार्डन एक साथ रहेंगे और प्रबंधक को छात्रावास परिसर में नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि अभी किया जा रहा है। उन्हें छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहना आवश्यक होगा क्योंकि उनकी 24 घंटे उपस्थिति अनिवार्य है। प्रबंधक के चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु चयन के वर्ष की 1 अप्रैल को 35 से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह नियुक्ति शुरू में संविदा आधार पर 3 वर्षों की अवधि के लिए होगी जिसे उपयुक्तता और निष्पादन के आधार पर वार्षिक आधार पर 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है और इसके बाद इस अवधि में कोई विस्तार नहीं किया जा सकता। नियुक्ति के संविदा को 2 महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। यदि युवा छात्रावास के प्रबंधक की संविदा को समाप्त किया जाता है तो नए प्रबंधक की नियुक्ति तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा समन्वयक कार्यभार संभालेंगे। प्रबंधक की संविदा और वार्डन की संविदा को-टर्मिनस होगी।

VI **सेल्स लिंक्ड प्रोत्साहन**:नगद प्रोत्साहनों की गणना करने के लिए केवल कमरे के किराए और भोजन से होने वाली आय को ही उक्त वित्तीय वर्ष की कुल आय के रूप में माना चाहिए। सेल्स लिंक्ड प्रोत्साहन की गणना के लिए सावधि जमा और बचत खातों पर जमा ब्याज को आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कुल आय का 20% अनिवार्य रूप से नियमित अनुरक्षण और मरम्मत पर खर्च किया जाना चाहिए।

VII **सेल्स लिंक्ड प्रोत्साहन का वितरण**: सौ प्रतिशत लाभ (व्यय को घटाकर आय) में से 25% को युवा छात्रावासों के प्रबंधक और स्टाफ में सेल्स लिंक्ड प्रोत्साहन के रूप में वितरित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के वितरण का प्रतिशत इस प्रकार होगा:

(क) प्रबंधक: कुल प्रोत्साहन राशि का 15%
(क) वार्डन : कुल प्रोत्साहन राशि का 10%

शेष 75% प्रोत्साहन राशि को प्रबंधक और वार्डन सहित सारे स्टाफ में बराबर वितरित किया जाएगा।

VIII **वाईएचएआई सदस्यता**:- यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वाईएचएआई) की ओर से सदस्यता शुल्क इकट्ठा करने की प्रणाली फिर से शुरू की जाएगी। वाईएचएआई सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य नहीं होगा, अपितु यह निवासियों के लिए ऐच्छिक होगी। वाईएचएआई सदस्यता द्वारा एकत्रित राजस्व का 50% वाईएचएआई द्वारा संबंधित युवा छात्रावास को दिया जाएगा। तथापि, वाईएचएआई सदस्यों को युवा छात्रावासों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(ए के विद्यार्थी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 2338 4072

सेवा में
1. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण
2. महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन
3. संबंधित राज्य के युवा कार्यक्रम के प्रभारी सचिव
4. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना
5. संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (छात्रावास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष)
6. अध्यक्ष, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
7. सभी युवा छात्रावासों के प्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक